अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई का बाल संरक्षण ढाँचा

१- बाल संरक्षण: उद्देश्य

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, यौन शोषण या अनदेखी से छात्रों की संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों की संरक्षण यह, शैक्षणिक संस्थान अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई का एक जरूरी भाग है और यह अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई को अपनी सेवाएँ देने वाले हर व्यस्क व्यक्ति की ज़िम्मेदारी है।

बाल-शोषण और अनदेखी बच्चों के मानवाधिकार का उल्लंघन हैं और न केवल उनकी शिक्षा बल्कि शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास में भी एक बाधा है। इसके अलावा बच्चों की संरक्षण अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई की बुनियादी मूल्यों और लक्ष्य के अंतर्गत आता है। बच्चों की संरक्षण के लिए अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई की प्रतिबद्धता से बनाई गई शैक्षणिक समिति के सदस्य में शोषण और अनदेखी को रोकने में सहायता कर सकते हैं और बेहतर जागरूकता एवं निगरानी के सहारे इसकी संभावना को सीमित रख सकते हैं।

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई की बाल संरक्षण नीति अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित है एवं बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसका संयुक्त अरब अमीरात जनवरी १९९७ से हस्ताक्षरकर्ता है और संयुक्त अरब अमीरात के केन्द्रीय क़ानून संख्या ३ के निर्देशों का पालन करता आया है। अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई की बाल संरक्षण नीति एवं पुस्तिका उन बच्चों को शोषण, अनदेखी और उत्पीड़न से बचाता है जो या तो इसमें शामिल हो चुके होते हैं या जिन्हें इस बात का खतरा होता है एवं प्रभावित बच्चों को सही मदद भी उपलब्ध कराता है। अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई, बच्चों की संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता सुनिश्चित करता है और बाल संरक्षण के उल्लंघन के लिए पूरे समुदाय में शून्य सहनशक्ति की नीति अपनाता है। इस चीज़ को स्पष्ट बनाने के लिए अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई की बाल संरक्षण नीति स्कूल की वेबसाईट पर भी प्रकाशित है ताकि इससे जुड़े सभी लोग इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें।

बाल संरक्षण नीति के तहत अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई ये सुनिश्चित करता है कि समुदाय के सभी सदस्यों को बाल संरक्षण से जुड़े मुद्दों की जानकारी हो। इनकी भर्ती प्रक्रिया भी इस बात पर जोर देती है कि बच्चों की संरक्षण के लिए सभी कदम उठाये जाएँ। सभी कर्मचारियों को उनके कार्यकाल की शुरुआत में ही जरूरी प्रशिक्षण दिया जाता है तथा बाद में आवश्कतानुसार इसे दोहराया भी जाता है। स्कूल के पाठ्यक्रम के तहत सभी छात्रों को उनकी उम्र के अनुसार जरूरी बाल संरक्षण की शिक्षा दी जाती है। शैक्षणिक सत्र के दौरान अभिभावकों को बाल संरक्षण नीति के बारेमें बताया जाया है और इससे संबंधित पुस्तिका भी उपलब्ध कराई जाती है। बाल संरक्षण की जरूरी जानकारियाँ स्कूल की वेबसाईट पर सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है।

२-अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई की बाल संरक्षण नीति

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई के ट्रस्टीज के बोर्ड ने निम्नलिखित बाल संरक्षण नीति को पारित किया है।

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई किसी भी प्रकार के शारीरिक शोषण, मानसिक शोषण, यौन शोषण या अनदेखी से छात्रों की संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है इसके बारेमें स्कूल की बाल संरक्षण पुस्तिका में ज़िक्र किया गया है। छात्रों की संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल सभी कर्मचारियों की आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच करता है, आचरण नीति पर उनसे हस्ताक्षर लेता है एवं बाल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। सभी

कर्मचारियों को निर्देश है कि किसी तरह के संदिग्ध उत्पीड़न या अनदेखी के बारे में अपने जाँच अधिकारी को तत्काल सूचित करें या उनकी अनुपस्थिति में स्कूल प्रशासन को सप्ताह के दिनों में या सप्ताहांत से २४ घंटे के भीतर सूचित करें। जाँच अधिकारी ऐसी किसी भी घटना के बारे में अपने अधीक्षक को सूचित करेंगे और वे एक औपचारिक जाँच शुरू करेंगे जिसमें बाल संरक्षण दल की मदद भी ली जा सकती है।

इस नीति के सफल संचालन के अनुसार, कर्मचारियों के तहत स्कूल के सभी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के साथ काम करते हैं, सभी आंतरिक एवं बाहरी तौर पर भर्ती कोच, स्वयंसेवक, वैकल्पिक एवं बाहर से बुलाये गये सभी कर्मचारी आते हैं।

रिपोर्टिंग प्रक्रियाएं, बाल संरक्षण पुस्तिका, एएसडी कर्मचारी आचार संहिता और गोपनीयता और गैर प्रकटीकरण समझौता संरक्षण नीतियां और प्रक्रियाएं, अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई सालाना इस नीति को प्रकाशित और वितरित करेगा।

<u>३- बाल शोषण: परिभाषाएँ</u>

शोषण: एक जिम्मेदारी, भरोसे एवं मजबूती वाले रिश्ते के तहत, सभी प्रकार के शारीरिक और/या मानसिक दुर्व्यवहार, यौन शोषण, अनदेखी, लापरवाही वाला बर्ताव और व्यवसायिक या किसी भी तरह का शोषण जिससे बच्चों की सेहत, जान, विकास या उनकी गरिमा को किसी तरह का नुक्सान पहुँचने का खतरा हो। (बाल शोषण रोकथाम रिपोर्ट, २९-३१ मार्च १९९९, जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, १९९९ (दस्तावेज़ डब्ल्यू एच ओ/ एचएससी/पीवीआई / ९९/१)

शोषण में दो या दो से अधिक बालिग़ शामिल हो सकते है, जिसमे बच्चों के अभिभावक या स्कूल के कर्मचारी भी आते हैं।

शारीरिक शोषण: किसी भी तरह का इरादतन और गैर जरूरी तरीके से किसी के शरीर से संपर्क, जिससे बच्चों को किसी तरह का नुकसान पहुंचे या पहुँचने का खतरा हो।

मानसिक शोषण: गैर शारीरिक हरकत जैसे धमकाना, अपमानित करना, नजर रखना, चिढाना, अलगाव या पीछा करना जिससे बच्चों के स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक और/या सामाजिक विकास को किसी तरह का नुकसान पहुंचे या पहुँचने का खतरा हो। इस तरह की हरकतों में बच्चों को् कही भी आने जाने पर रोकना, बदनाम करना, अपमान करना, चिढाना, भेदभाव करना, अस्वीकारना और किसी भी तरह का गैर शारीरिक हिंसक बर्ताव आते हैं। "(बाल दुर्व्यवहार रोकथाम परपरामर्श की रिपोर्ट, २९-३१ मार्च १९९९, डब्ल्यूएचओ, जिनेवा।जिनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, १९९९ (दस्तावेज़ डब्ल्यू एच ओ / एचएससी / पीवीआई / ९९/१)।)

यौन दुर्व्यवहार: किसी भी तरह का कार्य जिससे किसी पर कोई ऐसा यौन- संबंधी कार्य करने का दबाव बनाया जाये या मजबूर किया जाये जो वह स्वेच्छा से नहीं करना चाहता हो।

यौन शोषण: किसी के साथ बिना उसकी अनुमति के यौन संबंधी या अंतरंग तरीके से बर्ताव करना या करने की कोशिश करना।

यौन उत्पीड़न: किसी भी तरह का शारीरिक, मौखिक, लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से यौन संबंधी बर्ताव करना जिससे व्यक्ति के शैक्षणिक, पाठ्येतर गतिविधियों, पेशे से संबंधित जिम्मेदारियों में बाधा पहुँचे या उनके लिए एक हिंसक वातावरण तैयार करना।

अनदेखी: स्वास्थ्य, शिक्षा, मानसिक विकास, पोषण, आश्रय और सुरक्षित रहने योग्य माहौल प्रदान करने में अनदेखी या असफलता।

डिजिटल/इलेक्ट्रॉनिक शोषण: किसी के उत्पीड़न, पीछा करने या धमकाने के उद्देश्य से डिजिटल संवाद के लिए तकनीक का इस्तेमाल करना।

बाल संरक्षण: दुर्व्यवहार और अनदेखी से बच्चों की संरक्षण करना; बच्चों के अधिकारों की संरक्षण एवं किसी भी तरह के नुकसान या संभावित नुकसान से बचने के लिए जरूरी मूल्यों, संरचनाओं एवं प्रणाली को स्थापित करना।

बाल संरक्षण नीति: आशय का वह कथन जो बच्चों को नुकसान से बचाने, शिक्षा के लिए सही रास्ता तैयार करने, बाल शोषण पर प्रशिक्षण देने एवं किसी भी संदिग्ध घटना की रिपोर्टिंग और जाँच का मार्ग स्थापित करता है।

बाल संरक्षण दल: अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई के कर्मचारियों का एक समूह बच्चों की संरक्षण से जुड़े मामलों की रिपोर्ट लेते हैं तथा उचित कार्यवाही में सहयोग देते हैं। आंतरिक बाल संरक्षण दल में प्रशासन से जुड़े लोग होते हैं जिनमें स्वास्थ्य एवं परामर्श विभाग के विशेषज्ञ, छात्र सेवाओं के निदेशक और अधीक्षक शामिल होते हैं। बाल संरक्षण दल का नेतृत्व अधीक्षक करते हैं और अगर स्कूल के किसी कर्मचारी पर कोई आरोप लगता है तो ट्रस्टीज का बोर्ड भी इसमें हिस्सा लेता है।

कर्मचारी: इस नीति के सफल संचालन के उद्देश्य से, कर्मचारियों के तहत स्कूल के सभी जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के साथ काम करते हैं, सभी आंतरिक एवं बाहरी तौर पर भर्ती कोच, स्वयंसेवक, वैकल्पिक एवं बाहर से बुलाये गये सभी कर्मचारी आते हैं।

४- सूचित करने के कर्तव्य

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई के सभी कर्मचारियों का ये नैतिक एवं कानूनी कर्तव्य है कि किसी भी तरह की संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत निरीक्षक को दें। अगर स्कूल के किसी कर्मचारी को दुर्व्यवहार, शोषण, अनदेखी, उत्पीड़न के लिए किसी पर शक है तो उन्हें अपनी बात हर हाल में रखनी चाहिए। किसी भी छात्र, माता-पिता या अभिभावक के ऊपर कोई आरोप लगता है तो स्कूल के कर्मचारियों को तुरंत निरीक्षक को सूचित करना चाहिए और उनकी अनुपस्थिति में स्कूल प्रशासन को सूचित करें। किसी भी बाल संरक्षण के उल्लंघन का पता लगते ही सभी कर्मचारियों का कर्तव्य बनता है कि उसी सप्ताह के भीतर या सप्ताहांत में २४ घंटे के भीतर उसकी रिपोर्ट निरीक्षक को देनी चाहिए। जाँच अधिकारी ऐसी किसी भी घटना के बारे में अपने अधीक्षक को सूचित करेंगे और वे एक औपचारिक जाँच शुरू करेंगे जिसमें बाल संरक्षण दल की मदद भी ली जा सकती है।

५-सुरक्षित भर्ती प्रक्रिया:

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई बाल संरक्षण को अपनी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर रखता है। छात्रों की संरक्षण के लिए, स्कूल ऐसे कर्मचारियों को रखने एवं भर्ती करने में प्राथमिकता देता है जो इसके लिए जरूरी जाँच से गुज़रे हैं, जो बच्चों की संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है एवं जो बाल संरक्षण से संबंधित जानकारी एवं प्रशिक्षण पाने में सहभागिता दिखाते हैं। छात्रों की संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल सभी कर्मचारियों के आपराधिक पृष्ठभूमि की जाँच करता है, आचरण नीति पर उनसे हस्ताक्षर लेता है एवं बाल संरक्षण के लिए प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। एएसडी द्वारा भर्ती किए गए सभी कर्मचारी एक विश्वसनीयता जाँच की प्रक्रिया से भी गुजरते

हैं। विश्वसनीयता जाँच की प्रक्रिया पूरी होने के मानव संसाधन के निदेशक की सहमति से कर्मचारियों की भर्ती की जाती है।

६- प्रशिक्षण

सभी कर्मचारी एक निश्चित अंतराल पर जरूरी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रशिक्षण आमने –सामने या ऑनलाइन भी किया जा सकता है जो घटनाओं की रिपोर्टिंग, बच्चों की संरक्षण और आरोपों के प्रबंधन पर केंद्रित होगा।

७- गोपनीयता

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई बाल संरक्षण केस से जुड़े सभी लोगों की गोपनीयता का सम्मान करता है। बाल शोषण की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने तथा सम्भावित दोषी को पहचानने वालों की पहचान गुप्त रखे जाने की पूरी कोशिश की जाएगी। हालाँकि केस से जुड़े लोगों को ये समझना होगा कि जाँच को आगे बढ़ाने के क्रम में कुछ जानकारी जरूर साझा की जाएँगी। जानकारी सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही साझा की जाएँगी और सिर्फ उन लोगों से साझा की जाएँगी जो केस में प्रत्यक्ष रूप से जुड़े होंगे। इन में बाल संरक्षण दल, स्कूल प्रशासन, ट्रस्टीज बोर्ड, संयुक्त अरब अमीरात बाल संरक्षण अधिकारी, आरोपी के प्रायोजक, और/या उसका दूतावास शामिल हो सकते हैं पर उन तक सीमित नहीं है| एएसडी बाल संरक्षण उल्लंघन की घटनाओंकी जांच में कार्यरत सरकारी संस्थाओंके साथ पूरी तरहसे सहयोग करेगा। किसी भी घटना के पीड़ित एवं रिपोर्ट करने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, हालाँकि इस बात की पूरी गारंटी नहीं ली जा सकती। केस की आंतरिक जाँच एवं रिपोर्टिंग के लिए कुछ लोगों एवं संस्थाओं की पहचान बताई जा सकती है।

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई के सभी कर्मचारियों को एक आचार संहिता पर हस्ताक्षर करने होते हैं जिसके अनुसार छात्रों की भलाई के लिए वे पूरी तरह से गोपनीयता बरतेंगे और किसी से इस बात की चर्चा नहीं करेंगे जब तक कि यह जाँच का हिस्सा न हो। अगर स्कूल का कोई कर्मचारी ऐसे कामों में लिप्त पाया जाता है तो उनकी पहचान की गोपनीयता की कोई गारंटी नहीं है तथा स्कूल छात्रों की संरक्षण एवं अपनी गरिमा बनाये रखने के लिए हर संभव कदम उठाये जायेंगे।

८- बाहरी संस्थाएं, विक्रेता एवं तृतीय पक्ष प्रदाता

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि स्कूल कैंपस और सुविधाओं का इस्तेमाल करने वाली बाहरी संस्थाएं, विक्रेता एवं तृतीय पक्ष के प्रदाता भी बाल संरक्षण के प्रति उतने प्रतिबद्ध हों एवं सभी जरूरी नीतियों का पालन करें।

९- गुप्तचरी नीति

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी कर्मचारी अपने सहकर्मियों की ग़लतियों के विरोध में आवाज़ उठाने के कर्तव्य को समझें, एक गुप्तचरी नीति को अमल में लाता है।

१०- नीति समीक्षा

स्कूल की बाल संरक्षण नीति की समीक्षा हर साल की जाएगी।

११- स्थानीय संसाधन

किसी भी तरह की आपातकालीन मदद के लिए कोई भी छात्र या कर्मचारी दुबई एम्बुलेंस या पुलिस को ९९९ पर संपर्क कर सकता है।

अमेरिकन स्कूल ऑफ दुबई के पास डॉक्टरों एवं परामर्शदाताओं की एक सूची है जो दुर्व्यवहार, शोषण, उत्पीड़न और अनदेखी जैसे मामलों के पीडीतों की मदद के लिए उपलब्ध रहते हैं। इन सारी सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य कार्यालय, प्रभागीय परामर्श कार्यालय और छात्र सेवाओं के निदेशक के कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।

दुबई में अतिरिक्त संसाधन के लिए संपर्क:

दुबई फाउंडेशन फॉर विमेन एंड चिल्ड्रेन
संपर्क जानकारी: +९७१ ४ २८७०८८
हॉटलाइन: ८०० १११;
ईमेल: help@dfwac
वेबसाइट

आंतरिक बाल संरक्षण केंद्र मंत्रालय
संपर्क जानकारी: +९७१२३३३३९९९
हॉटलाइन: ११६११
वेबसाइट

दुबई पुलिस बाल संरक्षण हॉटलाइन
संपर्क जानकारी: ८००-२४३
+९७१-४-२६६१२२८
www.dubaipolice.gov.ae

सामुदायिक विकास प्राधिकरण के साथ बाल संरक्षण
बाल संरक्षण टोल फ्री ८००९८८
सीडीए टोल फ्री ८००२१२१
ईमेल: child@cda.gov.ae

लतीफा चिल्ड्रेन हॉस्पिटल
संपर्क जानकारी: +९७१४२१९३०००
वेबसाइट